भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4887

दिनांक 31 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम

4887. श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत कितने क्लीनिक/अस्पताल शामिल किए गए हैं, क्या गतिविधियां की गई हैं और कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षो में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कितनी निधि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित और व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार का देश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों तक उक्त कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के मध्य मुख स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने हेतु शिक्षा पर ज़ोर सहित निवारक उपायों को संयोजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ) भारत में राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पताल (डीएच), उप जिला अस्पताल (एसडीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के स्तर पर दंत चिकित्सा परिचर्या इकाई स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपकरण, उपभोग्य सामग्री, प्रशिक्षण, आईईसी कार्यकलापों और जनशक्ति की भर्ती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 593

जिलों में 6023 दंत चिकित्सा परिचर्या इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें 593 जिला अस्पताल, 1056 उप-जिला अस्पताल (एसडीएच), 3229 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और 1124 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 21 मोबाइल दंत चिकित्सा यूनिट शामिल हैं। इस कार्यक्रम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यान्वियन स्थिति अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है ।

कार्यक्रम के माध्यम से स्थापित दंत चिकित्सा परिचर्या इकाईयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं मुख संबंधी रोगों के लिए स्क्रीनिंग, रूट कैनाल उपचार, निष्कर्षण, मुख प्रोफिलैक्सिस, रिस्टोरेशन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुलग्नक ख में संलग्न** है।

केन्द्रीय स्तर पर आबंटित और खर्च की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रं सं	**वित्तीय वर्ष**	**बजट प्राक्कलन**	**व्यय**
1	2019-20	5.3 करोड़	1.0491 करोड़ रुपये
2	2020-21	5.3 करोड़	1.8844 करोड़ रुपये
3	2021-22	2.2 करोड़	1.39 करोड़ 11.61 करोड़ (अनुपूरक में)
4.	2022-23	एनओएचपी के बजट मद को एनएचएम की राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के सुदृढ़ीकरण के साथ विलय कर दिया गया है एनओएचपी के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 5.1410697 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।	

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित और खर्च की गई निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक-ग** के रूप में संलग्न किया गया है।

कार्यक्रम के विशिष्ट परिचर्या केंद्रीय घटक के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच मुख संबंधी स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना और शिक्षा पर जोर देने वाली विभिन्न गतिविधियां निम्नलिखित की सहायता से आयोजित की जाती हैं:-

(i) दंत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (सीडीईआर), एम्स में एनओएचपी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र ।

(ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) और संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली में मुख संबंधी संभावित पूर्व-घातक विकारों के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र ।

(iii) मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान (एमएआईडीएस), नई दिल्ली में तम्बाकू समाप्ति और मुख संबंधी स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र ।

iv) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ में बच्चों और बुजुर्गों का मुख स्वास्थ्य ।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनओएचपी दंत चिकित्सा परिचर्या इकाइयों, डेंटल कॉलेजों (डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से), इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ सहयोगात्मक मुख संबंधी स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम गतिविधियां ।

अनुलग्नक-क

राज्य	जिला अस्पताल स्तर पर दंत चिकित्सा क्लिनिकों की सं (एनएचएम+राज्य)	एसडीएच स्तर पर दंत चिकित्सा क्लिनिकों की सं (एनएचएम+राज्य)	सीएचसी/युसीएचसी स्तर पर दंत चिकित्सा क्लिनिकों की सं (एनएचएम+राज्य)	पीएचसी/यूपीएचसी स्तर पर दंत चिकित्सा क्लिनिकों की सं (एनएचएम+राज्य)	मोबाइल डेंटल इकाई स्तर पर दंत चिकित्सा क्लिनिकों की सं (एनएचएम+राज्य)	कुल दंत चिकित्स क परिचर्या इकाई
अंडमान और निकोबार	3	0	4	4	0	11
आंध्र प्रदेश	17	51	177	17	2	264
अरुणाचल प्रदेश	36	0	32	7	0	75
असम	32	17	76	2	0	127
चंडीगढ़	1	1	2	9	0	13
छत्तीसगढ़	26	19	181	5	0	231
दमन और दीव	3	1	4	5	1	14
गोवा	2	2	6	24	0	34
गुजरात	19	42	304	0	2	367
जम्मू	7	13	24	131	0	175
झारखंड	24	5	110	0	0	139
कर्नाटक	19	146	202	0	0	367
कश्मीर	7	43	200	0	0	250
केरल	36	85	67	17	1	206
लद्दाख	8	0	7	22	0	37
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	23	71	1	0	0	95
मणिपुर	9	2	17	30	0	58
मध्य प्रदेश	51	10	73	0	0	134
मेघालय	8	3	25	15	0	51
नगालैंड	11	0	23	0	0	34
दिल्ली	20	0	0	0	6	26
ओडिशा	62	34	363	0	0	459
पुदुचेरी	4	0	4	4	1	13
पंजाब	23	41	156	95	0	315
राजस्थान	43	53	290	0	7	393
तमिलनाडु	20	277	424	25	0	746
त्रिपुरा	6	14	21	56	0	97
मिजोरम	12	2	2	2	0	18
बिहार	36	45	256	533	0	870
हिमाचल प्रदेश	12	58	100	118	1	289
उत्तराखंड	13	21	78	3	0	115

टिप्पणी:- उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, सिक्किम और लक्षद्वीप से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

अनुलग्नक-ख

राज्य	लाभार्थी अप्रैल 22 से जनवरी 2023 तक रोगियों की सं
अंडमान और निकोबार	15924
आंध्र प्रदेश	429893
अरुणाचल प्रदेश	2387
चंडीगढ़	23809
छत्तीसगढ़	456782
दमन और दीव	55696
गोवा	84361
गुजरात	533186
जम्मू	446940
झारखंड	172175
कर्नाटक	957792
कश्मीर	660584
केरल	883375
लद्दाख	46696
लक्षद्वीप	17517
महाराष्ट्र	386450
मणिपुर	44109
मेघालय	56724
नगालैंड	33788
दिल्ली	19365
ओडिशा	522851
पुदुचेरी	32569
पंजाब	81266
राजस्थान	1125753
सिक्किम	24778
तमिलनाडु	1572892
त्रिपुरा	83460
उत्तराखंड	39531

नोट:- उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम, बिहार और हिमाचल प्रदेश राज्य के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

अनुलग्नक-ग

वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मख संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

(लाख में रु)

क्रं सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.24	0.00	0.00	0.00	10.04	9.24	10.16	0.00
2	आंध्र प्रदेश	310.20	310.20	0.00	0.00	3636.60	186.60	677.08	79.51
3	अरुणाचल प्रदेश	95.00	0.00	53.00	40.89	106.50	0.00	90.70	0.00
4	असम	134.95	1.98	156.48	5.04	161.65	80.51	421.42	7.46
5	बिहार	315.00	4.51	1863.85	1573.17	55.50	6.23	400.31	7.71
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.24	8.32	1.02
7	छत्तीसगढ़	0.00	72.08	14.60	21.81	1078.10	255.04	400.00	56.95
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
	दमन और दीव	0.00	0.00						
9	दिल्ली	35.00	0.00	323.00	0.00	205.40	0.00	572.00	24.61
10	गोवा	0.00	4.16	37.00	19.24	58.60	37.62	82.40	76.83
11	गुजरात	31.50	31.77	145.75	31.08	152.06	82.50	118.07	8.64
12	हरियाणा	0.00	49.50	3.00	0.00	190.50	12.12	307.05	361.55
13	हिमाचल प्रदेश	20.00	0.00	0.00	28.51	112.01	93.29	114.10	14.59
14	जम्मू और कश्मीर	39.00	7.50	69.00	25.00	208.58	81.55	201.00	6.52
15	झारखंड	0.00	0.15	12.00	6.82	791.86	69.48	320.00	80.63
16	कर्नाटक	29.50	60.60	152.20	99.92	391.02	199.08	379.30	211.72
17	केरल	196.00	12.79	240.60	22.70	266.00	93.78	397.41	94.42

18	लद्दाख	0.00	0.00	8.40	0.00	44.90	0.00	65.50	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	2.50	0.00	4.50	0.00	4.58	0.00
20	मध्य प्रदेश	202.00	54.24	529.50	218.23	402.80	375.42	684.76	317.60
21	महाराष्ट्र	431.00	7.96	1487.93	88.39	459.06	985.94	1417.00	239.49
22	मणिपुर	0.00	0.00	34.80	0.00	137.00	22.43	92.92	26.47
23	मेघालय	14.60	9.62	67.05	4.31	378.84	65.19	134.40	163.56
24	मिजोरम	1.86	2.31	3.16	2.02	182.25	136.60	83.56	0.00
25	नगालैंड	0.00	0.00	37.15	2.25	553.94	28.80	127.15	22.16
26	ओडिशा	0.00	3.29	41.90	11.45	146.50	76.15	1216.04	228.57
27	पुदुचेरी	12.50	5.94	10.70	0.00	28.20	9.54	14.90	2.92
28	पंजाब	4.00	6.05	8.00	1.77	10.00	0.00	250.93	51.71
29	राजस्थान	406.00	0.00	34.00	19.27	458.27	131.61	429.30	231.97
30	सिक्किम	0.00	0.00	3.55	0.70	110.50	0.00	13.75	0.00
31	तमिलनाडु	37.50	295.89	184.09	204.37	1157.10	299.46	680.70	339.06
32	तेलंगाना	180.00	0.00	0.00	0.00	524.31	629.81	136.60	5.58
33	त्रिपुरा	10.00	6.49	1.60	36.37	76.80	53.74	105.30	70.45
34	उत्तर प्रदेश	112.10	67.51	1057.25	14.98	214.79	54.66	1494.00	343.14
35	उत्तराखंड	2.00	1.26	92.30	65.38	27.30	158.22	358.50	6.67
36	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	163.60	4.10	186.69	66.24	110.39	17.07

नोट:

1. उपयोग में केंद्रीय धनराशि, राज्य द्वारा दी गई धनराशि और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष के समक्ष उपयोग शामिल है

2. उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं और 31.12.2022 तक अद्यतन किए गए है, अत: अनंतिम है।

3. जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य और जम्मू एवं कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में बदलने के बाद लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को 2021-21 के दौरान पहली बार एनएचएम निधियां प्रदान की गई।

*****